रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 नवम्बर, 2016

सं. 4–90/2016–पी.जी. रेगुलेशन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2012 को उन बातों के सिवाय जहॉ तक वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित है, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

   (2) वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) ''अधिनियम'' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;

   (ख) ''परिषद्'' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

   (ग) ''मान्यता प्राप्त संस्थान'' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ड.क) के अधीन यथा परिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत हैं।

   (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. **उद्देश्य और प्रयोजन** – स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उद्देश्य आयुर्वेद विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना, और ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग एवं प्रसूति तन्त्र विशेषज्ञ (स्त्री रोग और प्रसूति तंत्रज्ञ), औषध निर्माण विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता और आयुर्वेद विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के उद्भट विद्वान हों।

4. **विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं** – स्नातकोत्तर उपाधियां निम्नलिखित विशिष्टताओं में अनुज्ञात की जाएंगी–

क.सं.	विशिष्टता का नाम	आधुनिक विषय की निकटतम पारिभाषिक शब्दावली	विभाग जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
पूर्व नैदानिक विशिष्टता			
1	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत	आयुर्वेद संहिता एवं बेसिक प्रिंसीपल्स ऑफ आयुर्वेद	संहिता एवं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत
2	रचना शारीर	एनाटमी	रचना शारीर
3	क्रिया शरीर	फिजियोलोजी	क्रिया शारीर
सम नैदानिक विशिष्टता			
4	द्रव्य गुण विज्ञान	मैटिरिया मेडिका एवं फार्माकोलोजी	द्रव्य गुण
5	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
6	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एवं पैथोलोजी	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान
नैदानिक विशिष्टता			
7	प्रसूति एवं स्त्री रोग	ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी	प्रसूति एवं स्त्री रोग
8	कौमार भृत्य– बाल रोग	पैडियेट्रिक्स	कौमार भृत्य– बाल रोग
9	स्वस्थवृत्त	प्रीवेन्टिव सोशल मेडिसिन	स्वस्थवृत्त एवं योग
10	काय चिकित्सा	मेडिसिन	काय चिकित्सा
11	रसायन एवं वाजीकरन	रेजुविनेशन एवं एफ्रोडीसिएक्स	काय चिकित्सा

12	मनोविज्ञान एवं मानस रोग	साइकेट्री	काय चिकित्सा
13	शल्य	सर्जरी	शल्य तंत्र
14	शालाक्य	डिसीसेज ऑफ आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हैड, नेक, ओरल एण्ड डेन्टिस्ट्री	शालाक्य तंत्र
15	पंचकर्म	पंचकर्म	पंचकर्म
16	अगद तंत्र	टॉक्सीक्लॉजी एवं फोरेन्सिक मेडिसिन	अगद तंत्र
17	योग	योग	स्वस्थवृत्त एवं योग

5. स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति – सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति निम्नवत् होगीः–

क.सं.	विशिष्टता अथवा उपाधि का नाम	संक्षिप्त रूप
(1)	(2)	(3)
पूर्व नैदानिक विशिष्टता		
1	आयुर्वेद वाचस्पति – आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत	एम. डी. (आयुर्वेद)– कम्पेन्डियम एण्ड बेसिक प्रिंसीपल्स
2	आयुर्वेद वाचस्पति – रचना शरीर	एम. डी. (आयुर्वेद) एनाटमी
3	आयुर्वेद वाचस्पति – क्रिया शरीर	एम. डी. (आयुर्वेद) फिजियोलोजी
सम नैदानिक विशिष्टता		
4	आयुर्वेद वाचस्पति – द्रव्य गुण विज्ञान	एम. डी. (आयुर्वेद) मैटिरिया मेडिका एण्ड फार्माकोलोजी
5	आयुर्वेद वाचस्पति – रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	एम. डी. (आयुर्वेद) फार्मास्यूटिकल्स
6	आयुर्वेद वाचस्पति – रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम. डी. (आयुर्वेद) डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एवं पैथोलाजी
नैदानिक विशिष्टता		
7	आयुर्वेद धन्वंतरि – प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलाजी
8	आयुर्वेद वाचस्पति – कौमार भृत्य– बाल रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) पैडियेट्रिक्स
9	आयुर्वेद वाचस्पति – स्वस्थवृत्त	एम. डी. (आयुर्वेद) सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन
10	आयुर्वेद वाचस्पति – काय चिकित्सा	एम. डी. (आयुर्वेद) मेडिसिन
11	आयुर्वेद वाचस्पति – रसायन एवं वाजीकरण	एम. डी. (आयुर्वेद) रेजुविनेशन एवं एफ्रोडीसिएक्स
12	आयुर्वेद वाचस्पति – मनोविज्ञान एवं मानस रोग	एम. डी. (आयुर्वेद) साइकेट्री
13	आयुर्वेद धन्वंतरि – शल्य	एम. एस. (आयुर्वेद) सर्जरी
14	आयुर्वेद धन्वंतरि – शालाक्य	एम. एस. (आयुर्वेद) डिसीसेज ऑफ आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हैड, नेक, ओरल एण्ड डेन्टिस्ट्री
15	आयुर्वेद वाचस्पति – पंचकर्म	एम. डी. (आयुर्वेद) पंचकर्म
16	आयुर्वेद वाचस्पति – अगद तंत्र	एम. डी. (आयुर्वेद) टॉक्सीक्लॉजी एवं फोरेन्सिक मेडिसिन
17	आयुर्वेद वाचस्पति – योग	एम. डी. (आयुर्वेद) योग

टिप्पणी 1: पूर्व नामावली यथा आयुर्वेद वाचस्पति–आयुर्वेद सिद्धान्त, आयुर्वेद वाचस्पति–आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद वाचस्पति–क्रिया शरीर (दोष–धातु– मल विज्ञान) तथा आयुर्वेद वाचस्पति–भैषज्य कल्पना जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2005 में उल्लिखित है, से प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता धारक सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किये जा सकेंगे। जैसे दोष धातु मल विज्ञान के स्नातकोत्तर अर्हता धारक क्रिया शरीर–विभाग में, संहिता व सिद्धान्त के स्नातकोत्तर अर्हता धारक संहिता एवं आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्त विभाग में, भैषज्य कल्पना के स्नातकोत्तर अर्हता धारक रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगे। उसी प्रकार पूर्व नामावली यथा आयुर्वेद धन्वंतरि–शल्य–सामान्य, आयुर्वेद धन्वतंरि–क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म, अयुर्वेद धन्वंतरि–शालाक्य–नेत्र रोग, आयुर्वेद धन्वंतरि– शालाक्य–शिरो–नासा कर्ण एवं कंठ रोग, आयुर्वेद धन्वंतरि–शालाक्य–दंत एवं मुख रोग, आयुर्वेद वाचस्पति– संज्ञाहरण, आयुर्वेद वाचस्पति– छाया एवं विकिरण विज्ञान, आयुर्वेद धन्वंतरि–अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग एवं आयुर्वेद वाचस्पति–स्वस्थवृत्त एवं योग, जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2012 में उल्लिखित है, से प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता धारक सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगे। जैसे शल्य सामान्य के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, शालाक्य–नेत्र रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, शालाक्य–शिरो–नासा कर्ण एवं कंठ रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, शालाक्य–दंत एवं मुख रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शालाक्य विभाग में, संज्ञाहरण के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में, छाया एवं विकिरण विज्ञान के स्नातकोत्तर अर्हता धारक रोग निदान विभाग में, अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक शल्य विभाग में तथा स्वस्थवृत्त एवं योग के स्नातकोत्तर अर्हता धारक स्वस्थवृत्त विभाग में नियुक्त किए जा सकेंगें।

टिप्पणी 2: नव विकसित विशिष्टता यथा आयुर्वेद वाचस्पति–योग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक विनियम 4 के अन्तर्गत उल्लिखित उनके मूल विभाग में नियुक्ति हेतु विचारणीय होंगे। जैसे योग के स्नातकोत्तर उपाधि धारक स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग में नियुक्ति हेतु विचारणीय होगें।

6. स्नातकोत्तर संस्था, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं – स्नातकोत्तर संस्थान, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करेंगे यथा –

(1) स्नातकीय संस्था जो स्नातकीय शिक्षण के न्यूनतम साढ़े चार वर्ष (4) वर्ष) पूर्ण कर चुकें है, स्नातकोत्तर पाठ्क्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित स्नातकीय प्रशिक्षण की समस्त न्यूनतम मानक अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(3) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित विशिष्टताओं तथा विषयों में प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित समस्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखने होगें।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु संस्था को केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं पशु गृह रखना होगा। पशु गृह संस्था का अपना निजी अथवा सहयोग में रखा गया होगा।

(5) वर्तमान स्नातकोत्तर संस्थाओं को 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व उप–विनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(6) अतिरिक्त सहायक स्टॉफ जैसे बॉयो कैमिस्ट, फार्माकोलोजिस्ट, बॉयो स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट नियुक्त करने होंगे तथा इनकी अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता होगी।

(7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु यथा अपेक्षित शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त कम से कम सम्बन्धित विषय में एक आचार्य अथवा प्रवाचक और एक व्याख्याता आवश्यक होंगे। यदि उस विषय में पूर्व स्नातक स्तर पर स्वतन्त्र विभाग नहीं है तो उस विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम एक आचार्य अथवा प्रवाचक और एक व्याख्याता होगा।

(8) शैक्षिक सत्र 2017–18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता में सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक आचार्य रखना होगा।

(9) रचना शरीर, क्रिया शरीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एवं शल्यतंत्र में से प्रत्येक विभाग में स्नातकीय स्टॉफ की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर–शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता होगी:–

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन – 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक – 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा अनुसेवक अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक – 1 (एक)

(10) संस्था के पास भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार सभी विभागों में विशिष्टता के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित न्यूनतम एक सौ शय्याओं युक्त अस्पताल होना चाहिए।

(11) स्नातकोत्तर संस्था जिसमें साठ सीटों तक के साथ स्नातकीय पाठ्यक्रम हों, उपविनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या के भीतर नैदानिक विषयों में दस स्नातकोत्तर सीटें स्वीकार्य होगी। तथा नैदानिक विषयों में दस स्नातकोत्तर सीटों से अधिक सीटों के लिए, उप–विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या पर छात्रः शय्या अनुपात 1:4 के अनुसार अतिरिक्त शय्याएं उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) विनियम 4 में क्रम संख्या 1 से 6 पर यथा विनिर्दिष्ट पूर्व–नैदानिक अथवा सम नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर उप–विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या के आधार पर स्वीकार्य होगा।

(13) स्नातकोत्तर संस्था में, जिसमें इक्सठ से सौ सीटों के साथ स्नातकीय पाठ्यक्रम हों, उप–विनियम (10) में यथा विनिर्दिष्ट शय्याओं की संख्या पर छात्रः शय्या अनुपात 1:4 के अनुसार नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर हेतु अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होगी।

(14) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन) के दौरान अस्पताल के अंतः रोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत शैय्या–अधिभोग पचास प्रतिशत से अधिक होगा। तथा साठ स्नातकीय सीटों तक के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रखने वाले महाविद्यालयों के लिए पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम दैनिक औसत उपस्थिति न्यूनतम एक सौ बीस रोगी प्रतिदिन होगी तथा

इक्सठ से सौ स्नातकीय सीटों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रखने वाले महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम दो सौ रोगी प्रतिदिन होगी।

(15) नैदानिक विभागों में, नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों हेतु बढ़ाई गई अतिरिक्त शय्याओं हेतु प्रत्येक बीस शय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. स्नातकोत्तर संस्था, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है – स्नातकोत्तर संस्थान, जहाँ स्नातकीय पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं है, निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करेंगे नामतः–

(1) संस्थान को, जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार आधारभूत संरचना सहित पूर्णतः विकसित विभाग रखने होगें।

(2) संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित विशिष्टताओं तथा विषयों में प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित समस्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखने होगें।

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु संस्था को केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं पशु गृह रखना होगा। पशु गृह संस्था का अपना निजी अथवा सहयोग में रखा गया होगा।

(4) वर्तमान स्नातकोत्तर संस्थाओं को 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व उप–विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।

(5) अतिरिक्त सहायक स्टॉफ जैसे बॉयो कैमिस्ट, फार्माकोलोजिस्ट, बॉयो स्टेटिस्टीशियन, माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट नियुक्त करने होंगे तथा इनकी अर्हता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता होगी।

(6) विभाग जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, न्यूनतम तीन संकाय; एक आचार्य, एक प्रवाचक अथवा सह–आचार्य तथा एक व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य; अथवा एक आचार्य अथवा प्रवाचक अथवा सह–आचार्य तथा दो व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य प्रत्येक सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में रखनें होंगे।

(7) सम्बन्धित विशिष्टता में परामर्शदाता अथवा अशंकालिक शिक्षक भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम 2016 में यथा विनिर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार अशं कालिक आधार पर शिक्षण हेतु नियुक्त करने होंगे।

(8) शैक्षिक सत्र 2017–18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विशिष्टता को सम्बन्धित विषय अथवा विशिष्टता में न्यूनतम एक आचार्य रखना होगा।

(9) रचना शरीर, क्रिया शरीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एवं शल्यतंत्र में से प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित गैर–शिक्षण स्टॉफ की आवश्यकता होगीः–

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन – 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक – 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा अनुसेवक अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक – 1 (एक)

(10) उप–विनियम (9) में यथा विनिर्दिष्ट विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर– शिक्षण स्टॉफ की आवश्यता होगीः–

(i) कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर – 1 (एक)

(ii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देशीय कार्मिक – 1 (एक)

(11) अस्पताल में न्यूनतम एक सौ शय्या हों एवं पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन) के दौरान अस्पताल के अंतः रोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत शय्या–अधिभोग पचास प्रतिशत से अधिक होगा।

(12) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम दैनिक औसत उपस्थिति न्यूनतम एक सौ बीस रोगी प्रतिदिन होगी।

(13) पच्चीस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप – विनियम (11) में विनिर्दिष्ट है मान्य होंगी तथा पच्चीस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप–विनियम (11) में विनिर्दिष्ट शय्याओं से ऊपर अतिरिक्त शय्याएं छात्र : शय्या अनुपात 1:4 में होंगे।

(14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय – समय पर संशोधित विनियम में विर्निदिष्ट अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग

एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे तथा प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत उपस्थिति जैसाकि उप–विनियम (11) एवं 12 में विर्निदिष्ट है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में रोगियों की कुल उपस्थिति देखी जाएगी।

(15) पूर्व नैदानिक एवं सम नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय – समय पर संशोधित विनियम में विर्निदिष्ट अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे तथा प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत उपस्थिति जैसाकि उप–विनियम (11) एवं 12 में विर्निदिष्ट है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में रोगियों की कुल उपस्थिति देखी जाएगी।

(16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों की शय्या के लिए प्रत्येक 20 शय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होगी।

टिप्पणी :– रिक्त शैक्षिणक पदों पर नियमित भर्ती तक सेवा निवृत्त प्राध्यापक अथवा प्रवाचक अथवा सह– प्राध्यापक अथवा व्याख्यता अथवा सहायक प्राध्यापक को 65 वर्ष की आयु तक संविदा पर रखा जा सकता है।

8. प्रवेश की पद्धति–

(1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था से आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अथवा राज्य पंजिका में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(2) सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

(3) अभ्यर्थियों का चयन सौ अंको में से प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर किया जाएगा जिसमें अस्सी प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के होंगे एवं बीस प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंको के होंगे ।

(4) सौ अंको की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषयों को समाविष्ट किए बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी।

(5) प्रवेश के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल सूचकांक के पचास प्रतिशत होगें और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार सेवा के अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस प्रतिशत होंगे।

(6) प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी उप–विनियम (5) में विर्निदिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(7) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रिकों (नागरिकों) को उप–विनियम (5) में विर्निदिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

(8) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(9) विषय परिवर्तन प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध रिक्ति और मार्गदर्शक की उपलब्धता के अधीन अनुज्ञेय होगा।

9. पाठ्यक्रम की अवधि और उपस्थिति–

(1) प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा।

(2) परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, प्रयोगात्मक और नैदानिक शिक्षण या कक्षाओं में छात्र की उपस्थिति कम से कम पचहत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी।

(3) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अस्पताल में उपस्थिति और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जो उसे निर्धारित किए जाएं।

(4) पाठ्यक्रम की अवधि दौरान नैदानिक विषयों के छात्रों को उनके संबंधित विभागों में आवासी (रेजिडेन्ट) ड्यूटी करनी होगी तथा गैर नैदानिक विषयों के छात्रों को उनके सम्बन्धित विभागों जैसे– फार्मेसी, वनौषधि उद्यान, प्रयोगशाला के कर्तव्यों को करना होगा।

(5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा व्यवस्थित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों और ऐसे अन्य कियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति के लिए वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की आवश्यकता होगी और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैनुअल उपस्थिति आवश्यक होगी।

10. प्रशिक्षण की पद्धतिः (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्र को आयुर्वेद के सिद्धांतों के व्यवहारिक दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(2) संबंधित विषय में शास्त्रीय ज्ञान का गंभीर प्रशिक्षण तुलनात्मक एवं गहन अध्ययन के साथ प्रदान किया जाएगा।

(3) गहन व्यवहारिक एवं व्यकितगत प्रशिक्षण पर जोर देना होगा।

(4) छात्रों को संबंधित क्षेत्र में सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुए शोध की पद्धतियों और तकनीक के ज्ञान को प्राप्त करना होगा।

(5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतंत्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपात स्थिति को निपटाने का उत्तरदायित्व लेना होगा।

(6) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अध्यापन तकनीक और अनुसंधान पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा स्नातक छात्रों या संबंधित विषय के विशिखानुप्रवेशीय छात्रों के अध्ययन में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।

(7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(8) शल्य, शालाक्य और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशिष्टताओं में छात्र को जॉच प्रक्रियाओं, तकनीकों और शल्य क्रिया की प्रक्रियाओं के निष्पादन और संबंधित विशेषज्ञता में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

11. शोध प्रबंध–(1) वैश्विक मानकों की जरूरत के आधार पर साक्ष्य आधारित आयुर्वेद का प्रचार करने और उसे प्रकाशित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार स्नाताकोत्तर समिति हर शैक्षिणिक वर्ष ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। विश्वविद्यालय समिति भी शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी ।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 6 मास की अवधि के भीतर सम्बन्धित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विनियमानुसार संस्थान द्वारा गठित आचार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक, विषय संक्षेप विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) यदि छात्र उप–विनियम (2) के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट अवधि में शोध प्रबंध का शीर्षक तथा विषय संक्षेप प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसकी अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि छः माह या विश्वविद्यालय में विषय संक्षेप के प्रस्तुत करने के समय के अनुसार उससे अधिक बढ़ा दी जायेगी।

(4) प्रस्तावित कार्य का विषय संक्षेप, प्रस्तावित कार्य की विषय वस्तु से सम्बन्धित काम की विशेषज्ञता, छात्र के कार्य की कार्य योजना के साथ, विभाग का नाम और मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक व सह–मार्गदर्शक (यदि काई हो) के नाम और पदनाम का संकेत देगा। विषय संक्षेप के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तीन माह की अनाधिक अवधि में विषय संक्षेप विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिये।

(5) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संवीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध के अनुमोदित विषय संक्षेप को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिये।

(7) प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और आयुर्वेद पद्धति के विकास में सहायक होगा। शोध प्रबन्ध का विषय विशेषज्ञता की विषय वस्तु से सम्बन्धित होना चाहिए।

(8) विश्वविद्यालय की संवीक्षा समिति द्वारा एक बार शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना छात्र को कार्य की प्रस्तावित विषयवस्तु के शीर्षक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं होगी।

(9) किसी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः माह से पहले शोध प्रबंध जमा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी तथा छात्र तीन वर्ष पूर्ण करने के लिए शोध प्रबंध को जमा करने के पश्चात् संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।

(10) शोध प्रबंध में छात्र द्वारा चयनित समस्या पर सम्पादित अनुसंधान की पद्धतियां और आंकड़े अंतर्विष्ट होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में सम्पन्न होगा।

(11) शोध प्रबंध में साहित्य का समालोचनात्मक पुनरीक्षण, कार्य पद्धति, अनुसंधान के परिणाम, अध्ययन के अनुसंधान के परिणाम के आधार पर विवेचन, सारांश, निष्कर्ष और शोध प्रबंध में उद्धृत संदर्भो का, जो कि प्रकाशन हेतु अनुकूल होने चाहिये, समावेश होगा।

(12) शोध प्रबंध चालीस हजार शब्दों से कम का नही होगा।

(13) शोध प्रबंध के अंत में पंद्रह सौ से अनाधिक का सारांश और एक हजार शब्दों से अनधिक का निष्कर्ष होगा।

(14) मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक अथवा सह—आचार्य की हैसियत का व्यक्ति होगा।

(15) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पांच वर्षो का शिक्षण अनुभव रखने वाले व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक हेतु पात्र होंगे।

(16) शोध प्रबंध की पांच सजिल्द प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से चार माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

(17) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य परीक्षकों और दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(18) शोध प्रबंध उप विनियम (17) के अधीन नियुक्त परीक्षा के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अननुमोदन किए जाने की दशा में शोध प्रबंध संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाह्य परीक्षक को विर्निदिष्ट किया जाएगा।

(19) यदि शोध प्रबंध दो बाह्य परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापिस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(20) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के पश्चात् ही छात्र को स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अनुमति दी जाएगी।

(21) अंतः—अनुशासनात्मक अनुसंधान सम्बंधित विशेषता से मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक सहयोजन कर किया जा सकता है।

(22) यदि कोई सम नैदानिक अथवा पूर्व नैदानिक विषय का छात्र शोध प्रबंध के विषय के रूप में जिसमें नैदानिक परीक्षण सम्मिलित हो, लेता है तब शोध प्रबंध तैयार करने हेतु वह संबंधित विशेषता के एक नैदानिक शिक्षक सह—मार्गदर्शक के अधीन कार्य करेगा।

12. परीक्षा और उसका मूल्यांकन – (1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की निम्निलिखित शैली से दो परीक्षाएं होंगीः—

(क) प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी

(ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के पश्चात् तीन शैक्षणिक वर्षो के पूर्ण होने पर होगीः

(ग) परीक्षा साधारणतया प्रत्येक वर्ष के जून या जुलाई और नवबंर या दिसंबर मास में आयोजित की जायेगीः

(घ) परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में अलग—अलग उत्तीर्ण होना होगाः

(ड) छात्र को उत्तीर्ण घोषित होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयों में पृथक पृथक प्राप्त करने होगें;

(च) यदि कोई छात्र प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम परीक्षा में भाग लेने से पूर्व उसे उत्तीर्ण करना होगा;

(छ) यदि छात्र अंतिम परीक्षा के सिद्धांत या प्रयोगात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो उससे उत्तरवर्ती परीक्षा में भाग लेने से पहले नया शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी;

(ज) अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर आयोजित की जाएगी; तथा

(झ) स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध के स्वीकार होने के पश्चात् और छात्र के अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदत्त की जाएगी।

(2) परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्लीनिकल कुशाग्रता, योग्यता और विशेषज्ञता के प्रायोगिक पक्ष में कार्यकारी ज्ञान और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता की जांच करना होगा।

(3) नैदानिक परीक्षा द्वारा आयुर्वेद तथा विशेषता के वैज्ञानिक साहित्य में छात्र की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(4) प्रायोगिक परीक्षा के मौखिक परीक्षा भाग में विषय अथवा विशिष्टता के किसी भी पक्ष पर व्यापक चर्चा का समावेश होगा।

13. परीक्षा के विषयः (1) प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्निलिखित विषयों में संचालित की जाएगी, अर्थात्:–

प्रश्न पत्र I– अनुसंधान पद्धति अथवा जैव तथा चिकित्सीय सांख्यिकी;

प्रश्न पत्र II– संबंधित विषय के संबंध में प्रायोगिक पक्ष;

(2) छात्र को उसके द्वारा चयनित विषेषज्ञता के लिए सम्बन्धित विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण लेना होगा तथा अन्तिम दो वर्षो के अध्ययन के अंतर्गत किए गए कार्य का मासानुसार रिकार्ड रखना होगाः–

(क) विशेषज्ञता संबंधित साहित्य का अध्ययन;

(ख) नैदानिक विषयों के छात्रों के लिये अस्पताल में नियमित क्लीनिकल प्रशिक्षण;

(ग) पूर्व नैदानिक तथा सम नैदानिक विषयों के छात्रों के लिये विभाग में किए गए अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(घ) विभिन्न विचार गोष्ठियों और वाद विवाद में भागीदारी;

(ड़) शोध प्रबंध के विषय पर किए गए कार्य की प्रगति।

(3) उप– विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा किए गए कार्य का निर्धारण प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व किया जाएगा।

(4) अंतिम परीक्षा में शोध प्रबंध लिखित प्रश्न पत्र तथा और नैदानिक अथवा प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा सम्मिलित होंगे।

(5) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होंगे तथा विशेष अध्ययन हेतु छात्र द्वारा चयनित सम्बन्धित विशेषज्ञता अथवा उप विशेषज्ञता के समूह में एक प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक एवं एक मौखिक परीक्षा होगी।

(6) छात्र को उसके शोध प्रबन्ध पर आधारित उसके शोध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र एक जर्नल में प्रकाशित अथवा प्रकाशन हेतु स्वीकृत कराना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में एक शोध–पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा।

14. परीक्षा की विधि तथा परीक्षक की नियुक्ति –

(1) प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा की प्रणाली लिखित, प्रयोगात्मक अथवा चिकित्सीय और मौखिक रीति से होगी।

(2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी जिनमें से एक परीक्षक किसी अन्य संस्था से (बाह्य परीक्षक) होगा तथा अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी जिनमें से दो परीक्षक किसी अन्य संस्था से (बाह्य परीक्षक) होंगे।

(3) परीक्षक नियुक्त होने के लिए संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में पांच वर्षों के शिक्षण अथवा अनुसंधान अनुभव रखने वाला शिक्षक पात्र समझा जाएगा।

15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं – वृत्तिका और आकस्मिकता केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके नियंत्रणाधीन संस्था हेतु अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके नियंत्रणाधीन संस्था अथवा विश्वविद्यालय हेतु, जैसा भी मामला हो, निर्धारित दर से प्रदान की जाएगी।

16. शिक्षक – छात्र अनुपात–

(1) शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात प्राध्यापक के मामले में 1:3 तथा प्रवाचक अथवा सह–आचार्य के मामले में 1:2 हो।

(2) न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य के मामले में शिक्षक छात्र अनुपात 1:1 का होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों की अधिकतम संख्या – प्रति वर्ष प्रति विशिष्टता छात्रों की अधिकतम संख्या 12 से अधिक नही होगी।

18. शिक्षा का माध्यम– शिक्षा का माध्यम संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

19. शिक्षण स्टॉफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव – शिक्षण स्टॉफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत् होंगेः–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(i) अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(ii) अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) अनुभव

(i) प्राध्यापक के पद हेतु: सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह–आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषद्ों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षो का अनुसंधान अनुभव।

(ii) प्रवाचक अथवा सह–आचार्य के पद हेतु: सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषद्ों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षो का अनुसंधान अनुभव।

(iii) सहायक–आचार्य अथवा व्याख्याता के पद हेतु: प्रथम नियुक्ति के समय पैंतालीस वर्ष से अनाधिक आयु हो तथा शिक्षण अथवा अनुसंधान का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ग) संस्था के प्रमुख के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव: संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव होगा।

(घ) समवर्गी विषयों का प्रावधान: तालिका के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी के अभाव में तालिका के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी व्याख्याता अथवा सहायक–आचार्य, प्रवाचक अथवा सह–आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे:–

तालिका

क्रम संख्या	आवश्यक विशिष्टता	समवर्गी विषय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	स्वास्थ्यवृत्त	कायचिकित्सा
2.	अगद तंत्र	द्रव्यगुण या रसशास्त्र
3.	रोग विज्ञान	कायचिकित्सा
4.	रचना शारीर	शल्य
5.	क्रिया शारीर	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त अथवा कायचिकित्सा
6.	शालाक्य	शल्य
7.	पंचकर्म	कायचिकित्सा
8.	बालरोग	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा कायचिकित्सा
9.	कायचिकित्सा	मानसरोग
10.	शल्य	निश्चेतन एवं क्ष–किरण
11.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	शल्य तंत्र

टिप्पणी 1: समवर्गी विषयों के प्रावधान की अनुमति इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

टिप्पणी 2: नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक का शोध कार्य अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।

20. आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि–

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290 (124)]

टिप्पणी : अग्रेंजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No. 4-90/2016-P.G. Regulation.—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian

Medicine Central Council (Post Graduate Education) Regulations, 1979 and the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the education of post-graduate course in Ayurveda system of medicine, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) "Council" means the Central Council of Indian Medicine;

(c) "recognised institution" means an approved institution as defined under clauses (a) and (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. Aims and objects- The aims of the post-graduate degree courses shall be to provide orientation of specialties and super-specialties of Ayurveda, and to produce experts and specialists who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, gynaecologists and obstetricians (Stri Roga and Prasuti Tantragya), pharmaceutical experts, researchers and profound scholars in various fields of specialisation of Ayurveda.

4. Specialties in which post-graduate degree shall be conducted.- The post-graduate degrees shall be allowed in the following specialties as under:-

Sl.No.	Name of speciality	Nearest terminology of modern subject	Department in which post-graduate degree can be conducted
(1)	(2)	(3)	(4)
Pre-clinical specialty			
1	Ayurveda Samhita evam Siddhant	Ayurveda Samhita and basic principles of Ayurveda	Samhita and basic principles of Ayurveda
2	Rachana Sharira	Anatomy	Rachana Sharira
3	Kriya Sharira	Physiology	Kriya Sharira
Para-clinical specialty			
4	Dravyaguna Vigyana	Materia Medica and Pharmacology	Dravyaguna
5	Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana	Ayurveda Pharmaceuticals	Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana
6	Roga Nidana evam Vikriti Vigyana	Diagnostic Procedure and Pathology	Roga Nidana evam Vikriti Vigyana
Clinical specialty			
7	Prasuti evam Stri Roga	Obstetrics and Gynecology	Prasuti evam Stri Roga
8	Kaumarabhritya –Bala Roga	Pediatrics	Kaumarabhritya– Bala Roga
9	Swasthavritta	Preventive Social Medicine	Swasthavritta and Yoga
10	Kayachikitsa	Medicine	Kayachikitsa
11	Rasayana evam Vajikarana	Rejuvenation and Aphrodisiacs	Kayachikitsa
12	Mano Vigyana evam Manasa Roga	Psychiatry	Kayachikitsa
13	Shalya	Surgery	Shalya Tantra
14	Shalakya	Diseases of Eye, Ear, Nose, Throat Head, Neck, Oral and Dentistry	Shalakya Tantra
15	Panchakarma	Panchakarma	Panchakarma
16	Agada Tantra	Toxicology and Forensic Medicine	Agada Tantra.

17	Yoga	Yoga	Swasthavritta and Yoga

5. Nomenclature of post-graduate degree.- The nomenclature of post-graduate degree in respective specialties shall be as under:-

Sl.No.	Nomenclature of specialty or degree	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
Pre-clinical specialty		
1	Ayurveda Vachaspati – Ayurveda Samhita evum Siddhant	M.D. (Ayurveda)- Compendium and Basic Principles
2	Ayurveda Vachaspati – Rachana Sharira	M.D. (Ayurveda) - Anatomy
3	Ayurveda Vachaspati – Kriya Sharira	M.D. (Ayurveda) - Physiology
Para-clinical specialty		
4	Ayurveda Vachaspati – Dravyaguna Vigyana	M.D. (Ayurveda) - Materia Medica and Pharmacology
5	Ayurveda Vachaspati – Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana	M.D. (Ayurveda) - Pharmaceuticals
6	Ayurveda Vachaspati – Roga Nidana evam Vikriti Vigyana	M.D. (Ayurveda)- Diagnostic procedure and Pathology
Clinical specialty		
7	Ayurveda Dhanvantari – Prasuti evam Stri Roga	M.S. (Ayurveda)- Obstetrics and Gynecology
8	Ayurveda Vachaspati – Kaumarabhritya –Bala Roga	M.D. (Ayurveda)- Paediatrics
9	Ayurveda Vachaspati – Swasthavritta	M.D. (Ayurveda)- Social and Preventive Medicine
10	Ayurveda Vachaspati – Kayachikitsa	M.D. (Ayurveda)- Medicine
11	Ayurveda Vachaspati – Rasayana evam Vajikarana	M.D. (Ayurveda)- Rejuvenation and aphrodisiacs
12	Ayurveda Vachaspati – Mano vigyana evam Manasa Roga	M.D. (Ayurveda)- Psychiatry
13	Ayurveda Dhanvantari – Shalya	M.S. (Ayurveda)- Surgery
14	Ayurveda Dhanvantari – Shalakya	M.S. (Ayurveda)- Diseases of Eye, Ear, Nose, Throat Head, Neck, Oral and Dentistry
15	Ayurveda Vachaspati – Panchakarma	M.D. (Ayurveda)- Panchakarma
16	Ayurveda Vachaspati – Agada Tantra	M.D. (Ayurveda)- Toxicology and Forensic Medicine
17	Ayurveda Vachaspati – Yoga	M.D. (Ayurveda)- Yoga

Note 1: The post-graduate degree holder in the old nomenclature, namely, Ayurveda Vachaspati-Ayurveda Sidhant, Ayurveda Vachaspati- Ayurved Samhita, Ayurveda Vachaspati- Kriya Sharir (Dosha-Dhatu-Mala Vigyana) and Ayurveda Vachaspati-Bhaishajya Kalpana as mentioned in Post-graduate Education Regulations, 2005, may be appointed in the concerned department like, holder of Dosha Dhatu Malavigyana in the department of Kriya Sharira, holder of Samhita or Siddhant in the department of Samhita and Basic Principles of Ayurveda, holder of Bhaishajya Kalpana in the department of Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana. Similarly, The post-graduate degree holder in the old nomenclature, namely, Ayurveda Dhanvantri - Shalya - Samanya, Ayurveda Dhanvantri – Kshar Karma evam Anushastra Karma, Ayurveda Dhanvantri – Shalakya – Netra Roga, Ayurveda Dhanvantri – Shalakya – Shiro- Nasa Karna evam Kantha Roga, Ayurveda Dhanvantri – Shalakya – Danta evam Mukha Roga, Ayurveda Vachaspati-Sangyaharan, Ayurveda Vachaspati-Chhaya evam Vikiran Vigyan, Ayurveda Dhanvantri – Asthi Sandhi and Marmagat Roga and Ayurveda Vachaspati- Swastha Vritta and Yoga as mentioned in Post-graduate Education Regulations, 2012, may be appointed in the concerned department like, holder of Shalya - Samanya in the department of Shalya, holder of Kshar Karma evam Anushastra Karma in the department of Shalya, holder of Shalakya – Netra Roga in the department of Shalakya, holder of Shalakya – Shiro- Nasa Karna evam Kantha Roga in the department of Shalakya, holder of Shalakya – Danta evam Mukha Roga in the department of Shalakya, holder of Sangyaharan in the department of Shalya, holder of Chhaya evam Vikiran Vigyan in the department of Rog Nidan, holder of Asthi Sandhi and Marmagat Roga in the department of Shalya and holder of Swasthavritta and Yoga in the department of Swasthavritta.

Note 2: The post-graduate degree holder of newly developed speciality, namely, Ayurveda Vachaspati- Yoga as mentioned in these regulations, may be considered for appointment in their corresponding department mentioned under regulations 4 like holder of Yoga in department of Swasthavritta and Yoga.

6. **Minimum requirement for post-graduate institution where under-graduate course is in existence. -**The post-graduate institute where under-graduate course is in existence shall fulfill following requirements, namely:-

(1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate courses.

(2) The institute shall satisfy all the minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(3) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.

(5) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in sub-regulation (4) before the 31st December, 2016.

(6) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognised University.

(7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the specialty which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.

(8) The post-graduate department or specialty shall have minimum one Professor in concerned subject or specialty from the academic session 2017-18.

(9) In each of the department of Rachana Sharira, Kriya Sharira, Dravyaguna, Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana, Roga Nidana evam Vikriti Vigyana and ShalyaTantra, the following non-teaching staff shall be required in addition to the under-graduate staff requirement:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).

(10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with specialty-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (10).

(12) The post-graduate in pre-clinical or para-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 1 to 6 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in sub-regulation (10).

(13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in sub-regulation (10).

(14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (i.e. 365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent. and minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and minimum two hundred patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.

(15) In clinical departments, for additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

7. Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence.-The post-graduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfill following requirements, namely:-

(1) The institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time, in which post-graduate course is being conducted.

(2) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(3) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.

(4) The existing post-graduate Institutions shall fulfill the requirement as specified in sub-regulation (3) before the 31st December, 2016.

(5) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.

(6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties; one Professor, one Reader or Associate Professor and one Lecturer or Assistant Professor; or one Professor or Reader or Associate Professor and two Lecturers or Assistant Professors in each concerned subject or specialty.

(7) Consultants or part time teachers in concerned specialty as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time shall be engaged for teaching on part time basis.

(8) The post-graduate department or specialty shall have minimum one Professor in concerned subject or specialty from the academic session 2017-18.

(9) In each of the department of Rachana Sharira, Kriya Sharira, Dravyaguna, Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana, Roga Nidana evam Vikriti Vigyana and Shalya Tantra, the following non-teaching staff shall be required:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).

(10) In each of the department other than the departments specified in sub-regulation (9), the following non-teaching staff shall be required:

(i) Office Assistant or Data entry operator	-	1 (one)
(ii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).

(11) Minimum one hundred beds in the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.

(12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.

(13) Twenty-five post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (11) and for more than twenty-five post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in the sub-regulation (11).

(14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).

(15) The institute conducting post-graduate course in pre-clinical or para-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-patient departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-

Patient Departments and In-patient departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).

(16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

Note:- The vacant post may be filled up on contractual basis with retired Professors or Readers or Associate Professors or Lecturers or Assistant Professors below the age of sixty-five years in any department, till the regular appointment is made.

8. Mode of admission-

(1) A person possessing the degree of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery) from a recognised University or Board or medical institution specified in the Second Schedule to the Act and enrolled in Central or State register of Indian Systems of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.

(2) The State Government or University concerned shall conduct the admission process.

(3) The Selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent. weightage to the Post-graduate entrance test (PGET) and twenty per cent. weightage to the marks obtained in under-graduate course.

(4) The Post-graduate entrance test (PGET) of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery) course.

(5) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent of the total marks, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent. and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.

(6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (5).

(7) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (5).

(8) Reservation for all categories shall be applicable as per the policy of the Central Government or the concerned State Government.

(9) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

9. Duration of course and attendance-

(1) The student shall have to undergo study for a period of three years after the admission.

(2) The student shall have to attend minimum seventy-five per cent. of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.

(3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to him during the course of study.

(4) The student of clinical subject shall have to do resident duties in their respective departments and student of non-clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy or Herbal Garden or Laboratory during the course of study.

(5) The student shall attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as may be arranged by the teaching departments.

(6) The maximum duration for completion of the course shall not exceed beyond the period of six years from the date of admission to the course.

(7) Web based centralized biometric attendance system shall be required for the attendance of post-graduate students and manual attendance at department level in which student is pursuing the post-graduate course.

10. Method of training.-

(1) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Ayurveda

(2) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.

(3) The emphasis shall be given on intensive applied and hands on training.

(4) The student shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of information technology.

(5) In clinical subjects, students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.

(6) The student shall undertake training in teaching technology and research methods and shall participate in the teaching and training programs of under-graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.

(7) In the clinical training, the student shall have to acquire knowledge of independent work as a specialist.

(8) In the specialties of Shalya, Shalakya and Prasuti - Stri Roga, the student shall undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

11. Dissertation.-

(1) Central Scientific Advisory Post Graduate Committee appointed by Central Council of Indian Medicine shall suggest the areas of Research and topics to be focused every academic year to make campaigning of evidence based Ayurveda to the need of global standards and achieve publications and the same shall be followed by University Committee while approving the Dissertation title.

(2) The title of the dissertation along with the synopsis, with approval of the Ethics Committee constituted by the institute as per regulations of concerned recognised University, shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to the post-graduate course.

(3) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (2), his terms for final post-graduate course shall be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.

(4) The synopsis of the proposed scheme of work shall indicate the expertise and action plan of work of the student relating to the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide (if any).

a. The University shall approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.

(5) A Board of Research Studies shall be constituted by the University for approving the title.

(6) The University shall display the approved synopsis of dissertation on their website.

(7) The subject of every dissertation shall be research oriented, practical oriented, innovative and helpful in the development of Ayurveda system and the subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.

(8) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.

(9) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.

(10) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.

(11) The dissertation shall consist of critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary, conclusion, and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.

(12) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.

(13) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.

(14) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Associate Professor.

(15) Lecturer or Assistant Professor having five years University approved teaching experience in the subject concerned shall eligible for guide or supervisor.

(16) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.

(17) The dissertation shall be assessed by two external examiners and two internal examiners appointed by the University.

(18) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (17) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.

(19) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.

(20) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.

(21) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned specialty.

(22) If a para-clinical or pre-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the speciality concerned for preparing the thesis

12. Examination and assessment.-

(1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner, namely:-

(a) the preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;

(b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;

(c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;

(d) for being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;

(e) the student shall be required to obtain minimum fifty per cent. marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass;

(f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass before appearing in the final examination;

(g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;

(h) the subsequent examination for failed candidates shall be conducted at every six months interval; and

(i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.

(2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the specialty and his fitness to work independently as a specialist.

(3) The clinical examination shall be judge the competence of the student in Ayurveda and scientific literature of the specialty.

(4) The *viva-voce* part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or specialty.

13. Subjects of examination.-

(1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:-

Paper I- Research Methodology and Bio or Medical Statistics;

Paper II-Applied aspects regarding concerned subjects.

(2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the specialty opted by him as under:-

(a) study of literature related to specialty;

(b) regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;

(c) practical training of research work carried out in the department, for student of pre-clinical and para-clinical subject;

(d) participation in various seminars, symposia and discussions; and

(e) progress of the work done on the topic of dissertation.

(3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) shall be done before the preliminary examination.

(4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.

(5) There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.

(6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

14. Mode of examination and appointment of examiner(s)-

(1) The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical or clinical and oral examination.

(2) The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and the final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.

(3) A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or speciality shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

15. Facilities for post-graduate students.- The stipend and contingency shall be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

16. Teacher- student ratio.-

(1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained as 1:3 in case of Professor and 1:2 in case of Reader or Associate Professor.

(2) The teacher student ratio shall be 1:1 in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum of five years teaching experience.

17. The maximum number of students in post-graduate course.- The maximum number of students per year per specialty shall not exceed twelve.

18. Medium of instruction.- The medium of instruction shall be Sanskrit or Hindi or any recognised regional language or English.

19. Qualifications and Experience for teaching staff- The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

(i) A Bachelor degree in Ayurveda from a University as recognised under the Act;

(ii) a Post-graduate degree in the subject or specialty concerned included in the Schedules to the Act.

(b) Experience-

(i) For the post of Professor: Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in a recognised journal.

(ii) For the post of Reader or Associate Professor: Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in a recognised journal.

(iii) For the post of Assistant Professor or Lecturer at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

(c) Qualification and experience for the post of Head of the Institution –The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor.

(d) Provision of allied subject: In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

Sl. No.	Specialty required	Name of the allied subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Swasthavritta	Kayachikitsa
2.	Agada Tantra	Dravyaguna or Rasashastra
3.	Roga Vigyana	Kayachikitsa
4.	Rachana Sharira	Shalya
5.	Kriya Sharira	Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
6.	Shalakya	Shalya
7.	Panchakarma	Kayachikitsa
8.	Balaroga	Prasuti evam Striroga or Kayachikitsa
9.	Kayachikitsa	Manasaroga
10.	Shalya	Nischetana evam Ksha- kirana
11.	Prasuti evam Strirog	Shalya Tantra

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Ayurveda Colleges.- (1) The process of grant or denial of permission to the Ayurveda colleges for taking admissions in post-graduate course shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admissions in post-graduate course shall be the 30th September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note : If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2016". The English version will be treated as final.